B.M.A College Baheri Darbhanga (L.N.M.U)

BA (Part-I) Hons-I पेपर-I

Date 29.9.20

Dr Manoj Kumar Sah
Deptt of Pol-Sci

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली → यदि मतदाता रूप से निर्वाचन में भाग लेकर अपना प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं तो निर्वाचन प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह निर्वाचन प्रणाली सरल है। प्रत्यक्ष मतदाता अपना मिलते हैं वह विजयी घोषित हो जाता है। प्रायः लोकप्रिय अथवा निम्नसदन का निर्वाचन इसी प्रणाली द्वारा किया जाता है।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली → अप्रत्यक्ष प्रणाली के मतदाता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेते। वे केवल एक निर्वाचित मण्डल को निर्वाचित करते हैं। और वह निर्वाचन मण्डल फिर वास्तविक प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है।

इस प्रकार अप्रत्यक्ष प्रणाली में निर्वाचन दोहरा होता। पहला बार तो मतदाता एक निर्वाचन मण्डल का चुनाव करते हैं और फिर दूसरी बार निर्वाचन मण्डल के सदस्यों वास्तविक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग साधारणतया उच्च सदन के निर्माण में किया जाता है।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के गुण - (1) उत्साह एवं आत्म सम्मान की भावना जागना (2) राजनीतिक समस्याओं के प्रति रुचि बढ़ना (3) राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का ज्ञान होना (4) बहुमूल्य ज्ञान में वृद्धि (5) स्वशासन की शिक्षा की प्राप्ति

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के दोष → (1) राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की अक्षमता (2) निर्वाचन योग्यता का अभाव (3) विवेकशून्य अयोग्य व्यक्तियों के निर्वाचन की सम्भावना (iv) राजनीतिक ज्ञान का अभाव

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के गुण :→ (1) सार्वजनिक मताधिकार के दोषों से मुक्ति (2) मतदाताओं की सीमित संख्या (3) कुशल एवं योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन (4) निर्वाचकों का बुद्धिमान होना (5) स्वस्थ एवं (6) उत्तम निर्वाचन प्रणाली

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के दोष → (1) व्यक्ति के राजनीतिक महत्व का ह्रास (2) जनता के सहयोग के अभाव (3) जनहित कार्यों की उपेक्षा (4) दल शक्ति का महत्व (5) आधुनिक युग की मांग के विरुद्ध

निष्कर्ष → दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ... शासन प्रणाली की सफलता के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त है।